



Neutral Citation No. - 2026:AHC:63564-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

विशेष अपील (दोषपूर्ण) संख्या - 215 सन् 2026

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, अध्यक्ष/सचिव के माध्यम सेअपीलकर्ता

बनाम

श्रीमती सुनीता राय और अन्यप्रतिवादी

अपीलकर्ता के अधिवक्ता : संजय कुमार ओम

प्रतिवादी के अधिवक्ता : अनिरुद्ध कुमार उपाध्याय, मुख्य न्यायधीश

न्यायालय संख्या - 3

माननीय न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह

माननीय न्यायमूर्ति स्वरूपमा चतुर्वेदी

सी.एम. विलंब क्षमा आवेदन संख्या 01/2026

1. कारण पर्याप्त हैं। अपील दाखिल करने में हुई देरी क्षमा की जाती है।

2. आवेदन स्वीकार किया जाता है।

अपील पर आदेश

3. हमने प्रतिवादी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (संक्षेप में 'यूपीएससी')/अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री संजय कुमार ओम और मूल याचिकाकर्ता/प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता श्री आर.के. ओझा, जिनके साथ श्री अनिरुद्ध कुमार उपाध्याय भी उपस्थित थे, की दलीलें सुनीं।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. यह अंतर-न्यायालय अपील श्रीमती सुनीता राय बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य, 2026:एचसी:32646 प्रकरण में विद्वान एकल न्यायाधीश के दिनांक 13.02.2026 के आदेश के विरुद्ध दायर की गई है। उस आदेश द्वारा, रिट न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ रिट याचिका का निस्तारण किया है:

8. यह निर्विवाद है कि याचिकाकर्ता ने अपना ऑनलाइन आवेदन जमा करते समय सावधानी नहीं बरती और सामान्य श्रेणी की उम्मीदवार होने के बावजूद, उसने ओबीसी के कॉलम पर निशान लगा दिया और उसने निर्धारित अवधि के भीतर ऑनलाइन फॉर्म में सुधार नहीं किया, हालांकि, आक्षेपित आदेश द्वारा अनुरोध को यह कहते हुए खारिज कर दिया गया कि निर्धारित अवधि समाप्त होने के बाद ऐसी त्रुटि को ठीक नहीं किया जा सकता है और उसने ओबीसी के ऑनलाइन फॉर्म में उल्लिखित अपने दावे के समर्थन में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है।

9. न्यायालय ने पाया कि याचिकाकर्ता ने कोई धोखाधड़ी नहीं की है। उसने आवेदन पत्र में गलत विवरण भरते समय गलती की है और उसने ओबीसी होने का दावा करने वाले जाली दस्तावेज से इसे साबित करने का कोई प्रयास नहीं किया है। बल्कि, जब उसे अपने ऑनलाइन फॉर्म में त्रुटि का पता चला, तो उसने त्रुटि को दूर करने के लिए एक शपथपत्र दायर किया, हालांकि, तकनीकी आधार पर उसकी प्रार्थना खारिज कर दी गई। याचिकाकर्ता परीक्षा प्रक्रिया में भी भाग ले चुकी है और अभी तक प्रक्रिया पूरी तरह से संपन्न नहीं हुई है, इसलिए यदि न्यायालय याचिकाकर्ता को सामान्य श्रेणी की उम्मीदवार के रूप में मानने की अनुमति देता है, जो वह है, तो अन्य उम्मीदवारों को कोई नुकसान नहीं होगा। प्रतिवादीगण के कहने पर किसी अतिरिक्त प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होगी। याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा उद्धृत निर्णयों में सार है।

10. उपरोक्त परिस्थितियों में, इस रिट याचिका का निस्तारण इस प्रकार किया जाता है कि आक्षेपित आदेश में संशोधन किया जाए कि याचिकाकर्ता के संबंध में उसे सामान्य श्रेणी का माना जाए और उसका परिणाम घोषित किया जाए तथा यदि वह उत्तीर्ण होती है, तो इसके कानूनी परिणाम भुगतने होंगे।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



11. हालांकि, यदि भर्ती प्रक्रिया पहले ही संपन्न हो चुकी है और अंतिम परिणाम घोषित हो चुका है, तो प्रतिवादी इस आदेश का पालन करने के लिए बाध्य नहीं हैं।

5. वर्तमान में, स्क्रीनिंग परीक्षा के बाद, आयोग ने साक्षात्कार आयोजित किए हैं। उस परिणाम की अभी प्रतीक्षा है। जहां तक अंतिम परिणाम घोषित नहीं हुआ है, विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश के अनुसार कार्रवाई का कारण बना हुआ है।

6. आयोग के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत दलीलें इस प्रकार हैं कि विज्ञापन की विशेष शर्तों के खंड 1 के अनुसार, उस विज्ञापन में निर्धारित संशोधन करने की अंतिम तिथि के बाद आवेदन पत्र में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता है। विज्ञापन संख्या A-5/E-1/2024 दिनांक 28.08.2024 के तहत, अपीलकर्ता आयोग द्वारा 28.08.2024 से 28.09.2024 तक आवेदन आमंत्रित किए गए थे। संशोधन और शुल्क समायोजन की अंतिम तिथि 05.10.2024 थी। उक्त विज्ञापन की विशेष शर्तों का खंड 1 इस प्रकार है:

"अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि/संशोधन तिथि तक ही श्रेणी, उपश्रेणी, डोमिसाइल, लिंग, जन्मतिथि, ई.डब्ल्यूएस., क्रीमीलेयर, नाम व पते का जो दावा किया जाएगा, वही मान्य होगा। अन्तिम तिथि के बाद कोई भी परिवर्तन संबंधी प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं होगा। गलत सूचना प्रस्तुत करने पर अभ्यर्थन निरस्त माना जायेगा।"

(जोर दिया गया)

7. यह निर्विवाद है कि मूल याचिकाकर्ता ने सहायक रजिस्ट्रार के पद पर भर्ती के विज्ञापन के तहत आवेदन पत्र भरा था। ऑनलाइन फॉर्म भरते समय, उन्होंने अपनी स्थिति 'ओबीसी' के रूप में बताई थी। हालांकि, उन्होंने आरक्षण के अपने दावे के समर्थन में विज्ञापन के परिशिष्ट-1 में निर्धारित प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया था। उपरोक्त के संदर्भ में, उक्त विज्ञापन के खंड 5 के नोट 5 और नोट 10 इस प्रकार हैं:

"5. आरक्षण:

नोट:- (1)



(5) आरक्षण/आयु में छूट का लाभ चाहने वाले अभ्यर्थी संबंधित आरक्षित श्रेणी के समर्थन में इस विस्तृत विज्ञापन के परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध निर्धारित प्रारूप पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्राप्त कर ले एवं जब उनसे अपेक्षा की जाये तब वे उसे आयोग को प्रस्तुत करें।

.....

(10) अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा में अपने आवेदन में पात्रता तथा आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु जिस श्रेणी / उप श्रेणी का दावा किया गया है उसके समर्थन में समस्त वांछित प्रमाण-पत्रों की स्वप्रमाणित प्रतियां प्रश्नगत परीक्षा के आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया जाना अनिवार्य है अन्यथा उनका दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।"

(जोर दिया गया)

8. त्वरित संदर्भ के लिए, विज्ञापन के परिशिष्ट -1 में निर्धारित प्रपत्र इस प्रकार है:

"परिशिष्ट- 1

उ०प्र० की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिये जाति प्रमाण-पत्र (प्रारूप-पत्र)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी सुपुत्र/सुपुत्री श्री निवासी ग्राम तहसील नगर जिलाउत्तर प्रदेश राज्य की..... जाति के व्यक्ति है जिसे संविधान अनुसूचित जाति) आदेश 1950 (जैसा कि समय-समय पर सशोधित हुआ) / संविधान (अनुसूचित जनजाति, उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967 के अनुसार अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है।

श्री / श्रीमती / कुमारी तथा/अथवा उनका पिरवार उत्तर प्रदेश के..... तहसीलग्राम नगर जिला में सामान्यतया रहता है।



स्थान हस्ताक्षर

दिनांक पूरा नाम

मुहर पद नाम

जिलाधिकारी / अतिरिक्त जिलाधिकारी / सिटी मिजस्ट्रेट / परगना मिजस्ट्रेट /
तहसीलदार / अन्य वेतन भोगी मिजस्ट्रेट, यदि कोई हो / जिला समाज कल्याण
अधिकारी।"

9. स्क्रीनिंग परीक्षा आयोजित होने से पहले, 17.01.2025 और 17.02.2025 को, मूल याचिकाकर्ता ने अपने व्यक्तिगत हलफनामे के साथ आयोग को आवेदन भेजा, जिसमें उसने बताया कि उसने अपने आवेदन पत्र में जाति श्रेणी के सामने (ओबीसी) गलत भर दिया था। उसने अपने आवेदन पत्र में सुधार का अनुरोध किया, क्योंकि आयोग द्वारा अभी तक उसका परिणाम घोषित नहीं किया गया था। दूसरी ओर, आयोग के अनुसार, दस्तावेज़ की जांच करने पर यह पाया गया कि याचिकाकर्ता ओबीसी वर्ग की सदस्य नहीं थी, क्योंकि उसने अपने दावे के समर्थन में कोई शपथपत्र प्रस्तुत नहीं किया था। इसलिए, 14.01.2026 को उसकी उम्मीदवारी खारिज कर दी गई।

10. आयोग के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क दिया है कि विज्ञापन की विशेष शर्त संख्या 1 के तहत स्पष्ट रूप से यह प्रावधान है कि आवेदन पत्र में दी गई कोई भी गलत जानकारी, जिसे अंतिम तिथि यहाँ 05.10.2024 तक ठीक नहीं किया गया है, आवेदन को अस्वीकार कर देगी। जहाँ तक विज्ञापन की उस विशेष शर्त को चुनौती नहीं दी गई है, विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश विधिवत मान्य नहीं है। **बेदंगा तालुकदार बनाम सैफुदुल्लाह खान और अन्य, (2011) 12 एससीसी 5**, दिनांक 28.09.2011 के फैसले पर भरोसा किया गया है।

11. दूसरी ओर, मूल याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता का तर्क है कि केवल इसलिए कि याचिकाकर्ता ने अपने 'ओबीसी' होने के दावे को साबित नहीं किया है, इसका मतलब यह नहीं है कि वह उस दावे के लाभों से वंचित हो जाएगी। यदि आवेदन पत्र के किसी भी भाग में



कोई महत्वपूर्ण त्रुटि नहीं पाई गई है, तो आवेदन पत्र की अस्वीकृति का कठोर परिणाम उसके लिए उत्पन्न नहीं होना चाहिए था। उन्होंने विज्ञापन के खंड 5 के नोट 10 का हवाला दिया है।

12. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण की बात सुनने और अभिलेखों का अवलोकन करने के बाद, सर्वप्रथम हम यह स्वीकार करते हैं कि विज्ञापन की शर्तें और नियम पक्षकारों के बीच कानून की बाध्यकारी शक्ति उत्पन्न करते हैं, जिसमें मूल याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र की वैधता भी शामिल है।

13. दूसरे, यह बात निर्विवाद है कि विज्ञापन की विशेष शर्त संख्या 1 (ऊपर उद्धृत) के तहत गलत घोषणा करने पर आवेदन पत्र को ही अस्वीकार किया जा सकता है। यह भी निर्विवाद है कि विज्ञापन में स्पष्ट रूप से दिए गए प्रावधान के मद्देनजर, आवेदन पत्र में कोई भी सुधार केवल निर्धारित तरीके से ही किया जा सकता था - यानी उसमें निर्धारित अंतिम तिथि तक।

14. हालांकि, मूल याचिकाकर्ता के आवेदन पत्र की अस्वीकृति के परिणाम के संबंध में, वर्तमान प्रकरण में, यह बात नजरअंदाज नहीं की जा सकती कि आरक्षण के दावे को विज्ञापन के परिशिष्ट - 1 में दिए गए निर्धारित प्रपत्र पर जाति प्रमाण पत्र द्वारा समर्थित किया जाना था।

15. यह स्वीकार किया जाता है कि याचिकाकर्ता ने आवेदन जमा करते समय वह प्रपत्र प्रस्तुत नहीं किया था, हालांकि उसने अपने आवेदन पत्र में जाति विवरण के लिए निर्धारित स्थान पर अपनी जाति 'ओबीसी' के रूप में वर्णित की थी। इसलिए, यह विचारणीय है कि क्या उसके प्रपत्र में उक्त अपूर्णता के कारण याचिकाकर्ता को कोई अनुचित लाभ प्राप्त हुआ।

16. यहाँ, पक्षों के बीच यह स्वीकार किया गया है कि अनारक्षित श्रेणी और 'ओबीसी' श्रेणी के लिए निर्धारित आवेदन शुल्क एक ही था। प्रारंभिक परीक्षा न होने और आरक्षण या आयु में छूट आदि का लाभ न मिलने या मूल याचिकाकर्ता द्वारा इसके लिए आवेदन न किए जाने के कारण, यह नहीं कहा जा सकता कि मूल याचिकाकर्ता ने अपनी जाति के गलत खुलासे (जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है) के आधार पर कोई लाभ प्राप्त किया।

17. मूल याचिकाकर्ता अन्य सभी उम्मीदवारों के साथ ही स्क्रीनिंग टेस्ट में उपस्थित हुई थी। हालांकि इसका परिणाम घोषित हो चुका है, लेकिन याचिकाकर्ता को आज तक उसके आवेदन पत्र में दी गई जानकारी के आधार पर कोई लाभ नहीं मिला है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



18. इस संदर्भ में देखा जाए तो विज्ञापन के खंड 5 के नोट 10 में सहायक दस्तावेज/जाति प्रमाण पत्र (जैसा कि विज्ञापन के परिशिष्ट-1 में दिए गए प्रपत्र पर निर्धारित है) प्रस्तुत न करने के परिणाम स्पष्ट रूप से बताए गए हैं। केवल एक ही परिणाम निर्धारित किया गया है, अर्थात् आरक्षण के लिए दावा/दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा। अतः, कोई भी उम्मीदवार (मूल याचिकाकर्ता सहित), जिसने निर्धारित जाति प्रमाण पत्र के साथ आरक्षण के अपने दावे का समर्थन नहीं किया है, उसके आरक्षण के दावे की अस्वीकृति ही परिणाम होगी।

19. आयोग द्वारा विज्ञापन में ही किए गए उस विशिष्ट प्रावधान को देखते हुए, आयोग के लिए मूल याचिकाकर्ता को आवेदन पत्र को अस्वीकार करने जैसे कठोर परिणाम भुगतने का अवसर कभी नहीं मिला।

20. उपरोक्त सीमा तक, विशेष शर्तों के खंड 1 और खंड 5 के नोट 5 को एक साथ पढ़ा और सामंजस्य स्थापित किया जाना चाहिए। आवेदन की अस्वीकृति, अन्य बातों के अलावा, तब हो सकती है जब गलत जानकारी का खुलासा विज्ञापन के अंतर्गत आवेदन करने की मूल पात्रता को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण तथ्य से संबंधित हो। यदि उम्मीदवार गलत जानकारी का खुलासा करके शुल्क भुगतान, आयु में छूट या किसी अन्य उद्देश्य के लिए अनुचित लाभ प्राप्त करता है, तो ऐसी गलत जानकारी के परिणामस्वरूप आवेदन ही अस्वीकृत किया जा सकता है।

21. जिन परीक्षाओं में आरक्षण का प्रावधान है, उनके संदर्भ में आरक्षण का कोई भी लाभ अनुचित लाभ उठाने के समान हो सकता है। हालांकि, यहां ऐसा प्रकरण नहीं है। इसलिए, केवल इसलिए कि याचिकाकर्ता ने आयोग द्वारा निर्धारित तरीके और समय के भीतर अपनी जातिगत स्थिति के गलत खुलासे को ठीक नहीं किया, इससे आवेदन अस्वीकृत नहीं होना चाहिए, बल्कि केवल 'ओबीसी' सदस्य के रूप में आरक्षण के उसके दावे को अस्वीकृत किया जाना चाहिए। जहां तक याचिकाकर्ता को अन्यथा अपात्र घोषित नहीं किया गया है, और जहां तक आयोग द्वारा उसके आवेदन पत्र में कोई अन्य दोष नहीं बताया गया है, उपरोक्त चर्चा के स्वाभाविक परिणाम स्वरूप, याचिकाकर्ता अनारक्षित/सामान्य उम्मीदवार के रूप में उक्त परीक्षा में प्रतिस्पर्धा करने के लिए पात्र बनी रहेगी।

22. **बेदंगा तालुकदार (उपरोक्त)** प्रकरण में, याचिकाकर्ता ने कानून द्वारा निर्धारित तरीके से मानक विकलांगता वाले व्यक्ति के रूप में अपने दावे को प्रमाणित नहीं किया था। आयोग के

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



पक्ष का समर्थन करने के बजाय, हमारा मत सर्वोच्च न्यायालय के मत से सहमत है। उस प्रकरण में, सर्वोच्च न्यायालय ने पाया कि ऐसा दावा स्वीकार्य नहीं था क्योंकि याचिकाकर्ता को मानक विकलांगता वाला व्यक्ति नहीं माना जा सकता था - यानी इस संबंध में आरक्षण का हकदार नहीं। सर्वोच्च न्यायालय ने यह नहीं माना कि इन तथ्यों के मद्देनजर, याचिकाकर्ता अनारक्षित/सामान्य श्रेणी के अंतर्गत प्रतिस्पर्धा करने के लिए अपात्र होगा।

23. इसके अलावा, **संतोष कुमार पांडे बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य, 2015:एचसी:186060-डीबी** प्रकरण में समन्वय पीठ के निर्णय पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। वहां गलती ओएमआर शीट में थी। वे प्रकरण पूरी तरह से अलग हैं क्योंकि ओएमआर शीट में किसी भी प्रकार का सुधार स्वीकार्य नहीं है। समग्र रूप से देखने पर, हम पाते हैं कि याचिकाकर्ता का प्रकरण उस व्यक्ति के समान है जिसने प्रारंभिक खुलासा करने के बाद आरक्षण का दावा करने के अपने अधिकार को त्याग दिया हो, भले ही वह वास्तव में ऐसे आरक्षण के हकदार सामाजिक वर्ग से संबंधित हो।

24. तदनुसार, वर्तमान अंतर-न्यायालय अपील में कोई दम नहीं है और इसे खारिज किया जाता है। लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं।

25. हम आयोग को अन्य सभी समान दावों के संबंध में इस आदेश को पूर्ण रूप से लागू करने का अधिकार देते हैं। अन्यथा की गई कोई भी कार्रवाई इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश को पूर्ण रूप से लागू करने के रूप में देखी जाएगी और आयोग को चयन संबंधी नियमों और प्रक्रियाओं के विपरीत कार्य करने का दोषी नहीं माना जाएगा।

(न्यायमूर्ति स्वरूपमा चतुर्वेदी) (न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह)

26 मार्च, 2026

प्रखर